

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्रमांक/बी-6/नियमन/उपविधि/ २४२९


भोपाल, दिनांक ०६/११/२०१९

आदेश

मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन 1973) की धारा 81 की उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रदेश की कृषि उपज मण्डियों में अधिसूचित कृषि उपजों की बेहतर नियमन व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से कृषि उपज मण्डी समितियों से यह अपेक्षा करते हुए, निर्देशित किया जाता है कि मण्डी समिति का सम्मेलन आहूत कर, मण्डी समितियों के लिए लागू उपविधि सन 2000 के संबंध में संलग्न अनुसार नवीन/संशोधित प्रावधान अनिवार्य रूप अन्तःस्थापित करें,


- संशोधित प्ररूप-एक, अनुबंध पत्र;
- संशोधित प्ररूप-दो, सौदा पत्रक;
- संशोधित प्ररूप-दो(अ), क्रय केंद्र पर उपयोग हेतु सौदा पत्रक;
- संशोधित प्ररूप-तीन, तौल पर्ची;
- संशोधित प्ररूप-चार, भुगतान पत्रक.

मण्डी समिति मे सम्मेलन आहूत करने की विनिर्दिष्ट कालावधि मे मण्डी समिति द्वारा उपविधि एवं प्ररूपों को उपरोक्तानुसार संशोधित करने मे असफल रहने की स्थिति मे उपविधि एवं प्ररूप के उक्त संशोधन इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के अनुसार मण्डी समिति द्वारा किये गये समझे जाएंगे और तदुपरि उक्त संशोधन दिनांक ०७/१२/२०१९ से मण्डी समिति पर आबद्धकर होगे।


(अशोक कुमार वर्मा)
प्रबंध संचालक
म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म प्र शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग।
2. अपर संचालक/संयुक्त संचालक/उप संचालक म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
3. संयुक्त/उपसंचालक म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय (समस्त)।
4. चीफ प्रोग्रामर म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल। उक्त संशोधन आदेश को मंडी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध कराएं। इसके साथ ही पूर्व से वेबसाइट पर उपलब्ध उपविधि में आवश्यक संशोधन कर अद्यतन करने तथा ई-अनुज्ञा/ई-मंडी पोर्टल पर प्रस्तुपों में आवश्यक संशोधन की कार्यवाही करने का कष्ट करें।
5. भारसाधक अधिकारी/सचिव कृषि उपज मण्डी समिति (समस्त)।
6. गार्ड फाइल।


प्रबंध संचालक
म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

प्रस्तुप - एक

अनुबंध पत्र

(उपविधि 16 (4) के अंतर्गत)

कृषि उपज मंडी समिति _____ जिला _____

अनुबंध क्रमांक _____

दिनांक _____

पुस्तिका क्रमांक _____

कृषि उपज का नाम	कृषि उपज की किस्म/वैरायटी	क्या कृषि उपज "जैविक उत्पाद" है ? हाँ/ नहीं (प्रमाणपत्र अनिवार्य)	क्या कृषि उपज ग्रेडिंग/सॉर्टिंग की हुई है ? हाँ/ नहीं (प्रमाणपत्र अनिवार्य)	यदि हाँ तो, कृषि उपज का ग्रेड	कृषि उपज की अनुमानित मात्रा	विक्रेता/कृषक का नाम, पता एवं मोबाइल नंबर	क्रेता या उसके अभिकर्ता का नाम एवं अनुज्ञाप्ति क्रमांक	कृषि उपज के बोरा पात्र का विवरण	घोष विक्रय में प्राप्त अधिकतम दर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

- नोट:- (1) अनुबंध कराया जाता है कि ऊपर लिखित कृषि उपज क्रय करने के लिए क्रेता एवं विक्रय करने के लिए विक्रेता/कृषक अनुबद्ध है। क्रेता द्वारा सीधे विक्रेता/कृषक को कृषि उपज को लेने से इन्कार नहीं किया जायेगा। अपितु उपविधि 17(8) के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी। अनुबंध का उल्लंघन करने पर क्रेता की अनुज्ञाप्ति निलंबित अथवा रद्द करने के दायित्वाधीन होगी।
- (2) विक्रेता/कृषक को अनुबंध पत्रक/सौदा पत्रक के अनुसार कृषि उपज के तौल के दिन ही क्रेता द्वारा सम्पूर्ण राशि का भुगतान किया जाएगा। उसी दिन भुगतान नहीं करने की दशा में आगामी दिन एक प्रतिशत की दर से 5 दिन तक पांच प्रतिशत की दर से अतिरिक्त भुगतान के साथ भुगतान किया जाएगा।
- (3) उसी दिन भुगतान प्राप्त नहीं होने की दशा में विक्रेता/कृषक मंडी समिति पांच दिन की अवधि में सूचित करेगा। पांच दिन बाद शिकायत दर्ज नहीं होगी।

हस्ताक्षर मंडी कर्मचारी

प्रस्तुप-दो
सौदा पत्रक

(उपविधि 16 (4) के अंतर्गत)

कृषि उपज मंडी समिति _____ जिला _____

अनुक्रमांक _____
प्रिनांक _____

पुस्तिका क्रमांक _____

क्रेता का नाम एवं अनुशास्ति क्रमांक	विक्रेता/कृषक का नाम, पता एवं मोबाइल नंबर	कृषि उपज का नाम	कृषि उपज की किस्म/ वैरायटी	क्या कृषि उपज "जैविक उत्पाद" है ? हाँ/ नहीं (प्रमाणपत्र अनिवार्य)	क्या कृषि उपज ग्रेडिंग/ सॉर्टिंग की हुई है ? हाँ/ नहीं (प्रमाणपत्र अनिवार्य)	यदि हाँ तो, कृषि उपज का ग्रेड	कृषि उपज की मात्रा	दर	नमूने का वजन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

क्रेता के हस्ताक्षर

मंडी कर्मचारी का नाम

दनाम

हस्ताक्षर

नोट: - सौदे की शर्तें

विक्रेता/कृषक के हस्ताक्षर

(1) विक्रेता/कृषक को अनुबंध पत्रक/सौदा पत्रक के अनुसार कृषि उपज के तौल के दिन ही क्रेता द्वारा सम्पूर्ण राशि का भुगतान किया जाएगा। उसी दिन भुगतान नहीं करने की दशा में आगामी दिन एक प्रतिशत की दर से 5 दिन तक पांच प्रतिशत की दर से अतिरिक्त भुगतान के साथ भुगतान किया जाएगा।

(2) उसी दिन भुगतान प्राप्त नहीं होने की दशा में विक्रेता/कृषक मंडी समिति पांच दिन की अवधि में सूचित करेगा।

(3) पांच दिन बाद शिकायत दर्ज नहीं होगी।

प्ररूप-दो (अ)

क्रय केंद्र पर उपयोग हेतु सौदा पत्रक
(उपविधि 34 के अंतर्गत)

अनुक्रमांक _____
दिनांक _____

पुस्तिका क्रमांक _____

क्रय केन्द्र का नाम/स्थान _____

विक्रेता/कृषक का नाम, पता एवं अनुज्ञप्ति	क्रेता का नाम एवं अनुज्ञप्ति	कृषि उपज	कृषि उपज की विवरणी	क्या कृषि उपज "जैविक उत्पाद" है ? (प्रमाणपत्र जानवाय)	क्या कृषि उपज ग्रेडिंग/सॉर्टिंग की हुई है ? (प्रमाणपत्र जानवाय)	यदि हाँ तो, कृषि उपज	दर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

केंद्र प्रभारी के हस्ताक्षर

गाम

मदनाम

टोटः - सौदे की शर्तें

क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता/कृषक के हस्ताक्षर

(1) विक्रेता/कृषक को अनुबंध पत्रक/सौदा पत्रक के अनुसार कृषि उपज के तौल के दिन ही क्रेता द्वारा सम्पूर्ण राशि का भुगतान किया जाएगा। उसी दिन भुगतान नहीं करने की दशा में आगामी दिन एक प्रतिशत की दर से 5 दिन तक पांच प्रतिशत की दर से अतिरिक्त भुगतान के साथ भुगतान किया जाएगा।

(2) उसी दिन भुगतान प्राप्त नहीं होने की दशा में विक्रेता/कृषक सचिव मंडी समिति/केंद्र प्रभारी को तलाल लिखित शिकायत कर पांच दिन की अवधि में सूचित करेगा। परन्तु पांच दिन बाद शिकायत मान्य/दर्ज नहीं होगी।

प्रारूप तीन -

(उपविधि क्रमांक 17 (3) के अंतर्गत)

कृषि उपज मंडी समिति _____ जिला _____

तौल पर्ची

दिनांक

तौल पर्ची क्रमांक

पुस्तिका क्रमांक

- | | | |
|---|---|-------|
| 1 | अनुबंध क्रमांक | |
| 2 | क्रेता का नाम | |
| 3 | कृषि उपज का नाम | |
| 4 | कृषि उपज की किस्म/ वैरायटी | |
| 5 | क्या कृषि उपज “जैविक उत्पाद” है ? हाँ/ नहीं
(प्रमाणपत्र अनिवार्य) | |
| 6 | क्या कृषि उपज ग्रेडिंग/ सॉर्टिंग की हुई है ? हाँ/ नहीं
(प्रमाणपत्र अनिवार्य) | |
| 7 | यदि हाँ तो, कृषि उपज का ग्रेड | |
| 8 | बोरो की संख्या | |
| 9 | वास्तविक वजन | |

तुलैया का अनुज्ञाप्ति क्रमांक
तथा तुलैया के हस्ताक्षर

प्रारूप-चार

भुगतान-पत्रक

(धारा 37(2), उपविधि 17(4), 17(5), के अन्तर्गत)

1. दिनांक पुस्तिका क्रमांक
2. क्रेता का नाम एवं लायसेंस नम्बर
3. विक्रेता/कृषक का अनुबंध पत्रक क्रमांक/सौदा पत्रक क्रमांक
4. विक्रेता/कृषक का नाम
5. विक्रेता/कृषक का पता एवं मोबाइल नंबर

कृषि उपज का नाम	कृषि उपज की किस्म/ वैरायटी	क्या कृषि उपज "जैविक उत्पाद" है ? हाँ/ नहीं (प्रमाणपत्र अनिवार्य)	क्या कृषि उपज ग्रेडिंग/ सॉर्टिंग की हुई है ? हाँ/ नहीं (प्रमाणपत्र अनिवार्य)	यदि हाँ तो, कृषि उपज का	अनुबंध/ सौदा पत्रक के आधार पर वजन ग्रेड	तौल पर्ची के आधार पर	दर	कृषि उपज का मूल्य	विलंब से भुगतान की दशा में अतिरिक्त भुगतान	कुल मूल्य	उपविधि के अनुसार हम्माली की दर	कुल हम्माली जो मूल्य में से काटी जाएगी	विक्रेता/कृषक को भुगतान	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता/कृषक के भुगतान प्राप्ति के हस्ताक्षर

- नोट: (1) मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 37(2)(क)-मंडी प्रांगण मे क्रय की गई कृषि उपज की कीमत का भुगतान विक्रेता को उसी दिन मण्डी प्रांगण मे किया जायेगा : धारा 37(2)(ख) - यदि क्रेता खण्ड (क) के अधीन भुगतान नहीं करता है तो वह विक्रेता को देय कृषि उपज की कुल कीमत के 1 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त भुगतान पांच दिन के भीतर करने का दायी होगा : धारा 37(2)(ग) - यदि क्रेता उपरोक्त खण्ड (क) तथा (ख) के अधीन विक्रेता को भुगतान के साथ अतिरिक्त भुगतान ऐसे क्रय के दिन से पांच दिन के भीतर नहीं करता है तो उसकी अनुज्ञाप्ति छठवें दिन को रद्द कर दी गई समझी जायेगी और उसे या उसके नातेदार (धारा 11 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के स्पष्टीकरण मे विर्तिदिष्ट अभिप्रेत अनुसार) को ऐसे रद्द करण की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिये इस अधिनियम के अधीन कोई अनुज्ञाप्ति मंजूर नहीं की जायेगी।
- (2) क्रेता द्वारा विक्रेता/कृषक को किसी भी स्थिति मे भुगतान हेतु चैक जारी नहीं किए जा सकेंगे।
- (3) आरटीजीएस/एनईएफटी/ऑनलाईन बैंकिंग के माध्यम से राशि विक्रेता/कृषक के खाते मे स्थानांतरण के प्रमाणीकरण स्वरूप संबंधित बैंक की जमा पर्ची, रसीद व यूटीआर नम्बर संलग्न करें।